

भारत सरकार  
भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र  
अनुसंधान रिएक्टर अनुरक्षण भाग

ट्रॉम्बे,  
मुंबई-400 085

ई- निविदा आमंत्रण सूचना

**निविदा सूचना सं.: BARC/RRMD/ET/1/2026-2027 Date 29/04/2026.**

**I. निविदा आमंत्रण सूचना के ब्यौरे**

1. भारत के राष्ट्रपति की ओर से निदेशक, रिएक्टर वर्ग एवं मुख्य अभियंता, रिएक्टर वर्ग, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, ट्रॉम्बे, मुंबई-400 085 द्वारा निम्नलिखित कार्यों हेतु पात्र ठेकेदारों से दो भागों अर्थात् (कवर 1 तकनीकी वाणिज्यिक बोली एवं कवर -2- वित्तीय बोली) में ई-निविदाकरण के माध्यम से ऑनलाईन मद-दर निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं।

i)	कार्य का नाम		बीएआरसी, ट्रॉम्बे, मुंबई-85 में आरजी सुविधाओं में तकनीकी विनिर्देशों के अनुसार बैटरी बैंक की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग।।
ii)	कार्यस्थल /पिन कोड		भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, ट्रॉम्बे, मुंबई- 400 085
iii)	कार्य /उत्पाद श्रेणी		विद्युतीय
iv)	निविदा आमंत्रिती प्राधिकारी		मुख्य कार्यकारी एवं निदेशक, आरजी, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र
v)	आमंत्रित अधिकारी का पता		निदेशक एवं मुख्य अभियंता, रिएक्टर समूह, बीएआरसी, ट्रॉम्बे, मुंबई
vi)	अनुमानित लागत (जीएसटी के बिना)		रु. <b>42,70,000.00/-</b> + जीएसटी जैसा लागू हो
vii)	बयाना राशि		<b>₹ 1,00,772.00/-</b>
viii)	निविदा दस्तावेज की लागत		शून्य
ix)	निविदा प्रक्रिया शुल्क		शून्य
x)	कार्य की अवधि	:	मानसून अवधि सहित 270 कैलेंडर दिन
xi)	बोली दस्तावेजों को डाउनलोड करने के लिए प्रारंभिक/अंतिम तिथि एवं समय		From <b>30/04/2026 (11:00 Hrs)</b> to <b>21/05/2026 (16:00 Hrs)</b> To Download – please visit CPPP website on <a href="https://eprocure.gov.in/eprocure/app">https://eprocure.gov.in/eprocure/app</a> Detailed NIT is also available on website <a href="http://www.barc.gov.in">www.barc.gov.in</a> for view only
xii)	स्पष्टीकरण पूछताछ की प्रारंभिक तिथि	:	<b>30/04/2026 (11:00 Hrs)</b>
xiii)	स्पष्टीकरण पूछताछ की अंतिम तिथि तथा समय	:	<b>20/05/2026 (16:00 Hrs)</b>
xiv)	साइट यात्रा की तिथि तथा समय	:	<b>On or Before 06/05/2026 (12:00 Hrs)</b>

(xv)	बोली-पूर्व बैठक की तिथि तथा समय	: 06/05/2026 (11:00 Hrs)
(xvi)	बोली-पूर्व बैठक का पता	Dhruva Conference Room
(xvii)	<b>बोली प्रस्तुतीकरण की प्रारंभिक तिथि</b>	<b>30/04/2026 (11:00 Hrs)</b>
(xviii)	<b>बोली प्रस्तुतीकरण की अंतिम तिथि</b>	<b>21/05/2026 (16:00 Hrs)</b>
(xix)	फिजिकल फार्म ईएमडी प्रस्तुतीकरण। फिजिकल ईएमडी फार्म के प्रस्तुतीकरण हेतु पता	On or before <b>25/05/2026 (14:00 Hrs)</b>  EMD shall be submitted/Received at following address before due date & time (xix above):  Note : Original documents should be submitted preferably in person. However, documents sent by post or courier will also be considered provided the same is received within due date & time.
(xx)	बोली खोलने की तिथि/कवर-1 के ऑनलाइन खोलने की तिथि एवं समय	<b>26/05/2026 (16:00 Hrs)</b>
(xxi)	बोली खोलने का स्थान	ध्रुव, बीएआरसी, ट्रॉम्बे, मुंबई-400085
(xxii)	निविदाकर्ता वर्ग	निविदा दस्तावेज के अनुसार
(xxiii)	योग्य बोलीकर्ताओं की कवर-2 के खोलने की तिथि	शुद्धिपत्र के माध्यम से नीचे वेबसाइट पर बाद की तारीख में अधिसूचित किया जाएगा (तिथि हेतु <a href="https://eprocure.gov.in/eprocure/app">https://eprocure.gov.in/eprocure/app</a> पर सीपीपी वेबसाइट देखें।
xxiv	निविदा की वैधता	180

## II. आरंभिक पात्रता मानदंड:

2. i) बोलीकर्ता उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT), वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी सार्वजनिक प्रापण (मेक इन इंडिया को वरीयता), आदेश 2017 (समय-समय पर संशोधित) के अनुरूप होगा। इसके अलावा बोली लगाने वाले को विषय निविदा में प्रस्तावित % स्थानीय सामग्री के लिए (अनुलग्नक-4 का संदर्भ लें) बोली के साथ अंडरटेकिंग भी जमा करनी होगी।

ii) 'क्लास-1 स्थानीय आपूर्तिकर्ता', 'क्लास-11 स्थानीय आपूर्तिकर्ता' और 'गैर स्थानीय आपूर्तिकर्ता' की परिभाषा के लिए सार्वजनिक प्रापण (मेक इन इंडिया को वरीयता), आदेश 2017 का संदर्भ लिया जाएगा। जब तक निविदा आमंत्रित करने वाले प्राधिकारी द्वारा अपलोड किए गए बोलीपूर्व स्पष्टीकरण के माध्यम से स्पष्ट नहीं किया जाता है, कोई बोलीकर्ता इस निविदा में भाग लेने के लिए तब तक पात्र होगा यदि वे यह दर्शाने वाला एक वचनबद्ध प्रस्तुत करने में सक्षम हैं कि वे 'क्लास-1 स्थानीय आपूर्तिकर्ता' हैं। जो बोलीकर्ता खुद को 'क्लास-11 स्थानीय आपूर्तिकर्ता' के रूप में पाते हैं, वे भी भाग ले सकते हैं, बशर्ते वे संबंधित सरकारी विभाग/मंत्रालयों से उचित नोटिंग/घोषणा के साथ स्पष्टीकरण मांगकर इसके लिए सुझाव दें और ऐसे सुझावों के आधार पर विभाग द्वारा अपलोड किया गया बोलीपूर्व स्पष्टीकरण 'क्लास-

॥ स्थानीय आपूर्तिकर्ता की पात्रता को दर्शाता हो। तथापि, विनिर्दिष्टानुसार ऐसे मामलों में वर्क्स के प्रापण के लिए मैनुअल-2022 में अनिवार्य प्रापण वरीयता का पालन किया जाएगा। जो बोलीकर्ता 'क्लास-I स्थानीय आपूर्तिकर्ता' या 'क्लास-II स्थानीय आपूर्तिकर्ता' के रूप में वचनबद्धता प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं हैं, उन्हें इस निविदा में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

iii. बोलीकर्ता के पास निम्नलिखित होना चाहिए:

- (क) निविदा खुलने की तारीख से पूर्व एक वर्ष के भीतर जारी राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित बैंक से कम से कम रु. 20.15 lakhs/- के बैंक ऋण शोधन क्षमता प्रमाणपत्र।
- (ख) दिनांक 31 मार्च, 2025 को समाप्त पिछले 3 वर्षों के दौरान औसत वार्षिक वित्तीय टर्नओवर कम से कम रु. 50.39 lakhs/- होना चाहिए। यह एक पंजीकृत चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा विधिवत लेखा परीक्षित होना चाहिए और व्यावसायिक चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट की वैध विशिष्ट दस्तावेज़ पहचान संख्या (यूडीआईएन) भी होनी चाहिए।
- (ग) 31 मार्च 2025 को समाप्त पिछले 5 वर्षों के दौरान दो वर्ष से अधिक में घाटा नहीं हुआ होना चाहिए। केवल एक पंजीकृत चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा हस्ताक्षरित लाभ हानि विवरण को केवल इस पात्रता का प्रमाण माना जाएगा।
- (घ) सभी पूर्ण किये गये समान कार्यों के निष्पादन प्रमाण-पत्र, जिन्हें समान कार्यों के अनुभव के रूप में उद्धृत किया गया है।
- (छ) जीएसटी, ईपीएफ (भविष्य निधि कोड के साथ) और ईएसआईसी के लिए पंजीकरण प्रमाणपत्र।
- (ट) स्थायी खाता सं (पेन)।

3. बोली लगाने वाले को संतोषजनक ढंग से पूरा करना चाहिए (ग्राहक द्वारा कार्यों के प्रदर्शन के प्रमाणीकरण के आधार पर) 3 (तीन) समान कार्य, प्रत्येक का मूल्य ₹ 20.15 lakhs/- से कम नहीं होना चाहिए या 2 (दो) समान कार्य, प्रत्येक का मूल्य 30.23 कम से कम होना चाहिए। पिछले 7 (सात) वर्षों के दौरान, जिस महीने में निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं, उसके पिछले महीने के आखिरी दिन को समाप्त होने पर ₹ 61.27 lakhs/- से अधिक या कम से कम ₹ 40.31 lakhs/- मूल्य का 1 (एक) समान कार्य /निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि के पिछले दिन तक पूरे किए गए कार्यों पर भी विचार किया जाएगा और यदि केंद्र सरकार / राज्य सरकार / केंद्र या राज्य सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम / केंद्रीय स्वायत्त निकायों में पात्र समान कार्य नहीं किए जाते हैं, तब निविदा मूल्यांकन प्राधिकारी द्वारा अनुरोध किए जाने पर बोलीदाता द्वारा आयकर रिकॉर्ड से विवरण प्रस्तुत किया जाना चाहिए। प्रस्तुत विवरण/रिकॉर्ड में ग्राहक से बोली लगाने वाले को समान कार्य के लिए भुगतान की पुष्टि होनी चाहिए। इस प्रयोजन हेतु "कार्य की लागत" का तात्पर्य है पूरे हुए कार्य की सकल लागत जिसमें सरकार/क्लायंट द्वारा आपूर्ति की गयी सामग्रियों की लागत शामिल हैं, लेकिन इसमें निःशुल्क आपूर्ति की गयी सामग्री शामिल नहीं होगी। इसी प्रकार के कार्य का तात्पर्य "बैटरी बैंकों की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और चालू करना तथा संबंधित कार्य"। समान कार्य भारत में निष्पादित किया हुआ होना चाहिए।

4. निष्पादित कार्य के मूल्य को 7% प्रति वर्ष की सामान्य दर पर कार्य की वास्तविक मूल्य में वृद्धि करते हुए वर्तमान लागत स्तर तक लाया जाएगा जिसका परिकलन पूर्णता की तारीख से निविदाओं के लिए आवेदन प्राप्ति की आखिरी तारीख तक किया जाएगा।

5. ठेकेदार की बोली क्षमता निविदा में दिए गए कार्य की अनुमानित लागत के समतुल्य या उससे अधिक होनी चाहिए। बोली क्षमता का हल निम्नलिखित सूत्र द्वारा निकाला जाएगा।

$$\text{बोली क्षमता} = [A \times N \times 2] - B$$

जहां A = पिछले पांच वर्षों के दौरान किसी भी एक वर्ष में निष्पादित कार्यों का मूल्य जिसमें पूर्ण कार्य तथा प्रगति पर कार्य दोनों को ध्यान में रखा जाएगा। पुरे किए गए कार्यों के मूल्य को 7% की वार्षिक सामान्य दर पर बढ़ाते हुए वर्तमान लागत पर लाना होगा।

N = जिस कार्य के लिए बोली आमंत्रित की गई है उसकी पूर्णता के लिए निर्धारित वर्ष की संख्या।  
B = विद्यमान प्रतिबद्धताओं एवं जिस कार्य के लिए बोली आमंत्रित की गई है उसकी पूर्णता की अवधि के दौरान पूर्ण होने वाले चालू कार्यों का मूल्य।

बोली क्षमता की गणना बोली कर्ता द्वारा समर्थक डेटा के साथ किया जाएगा और सत्यापन के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। निविदा मूल्यांकन के दौरान काम पूरा होने/कार्य प्रदान के कारण उपरोक्त बोली क्षमता में परिवर्तन की सूचना भी बोलीकर्ताओं द्वारा दी जाएगी।

6. बोलीकर्ता भारत में एक पंजीकृत फर्म होना चाहिए।

### III. सूचना :

7. निविदा दस्तावेज दो भागों में अर्थात् भाग 'क' निविदा दस्तावेज दो भागों में अर्थात् भाग 'क' (तकनीकी वाणिज्यिक बोली) एवं भाग 'ख' (कीमत बोली) में तैयार किया गया है। भाग 'क' में तकनीकी बोली है। यथा : खंड I- सूचना ई-टेंडर आमंत्रित (अंग्रेजी और हिंदी संस्करण) खंड II- अनुबंध, ज्ञापन, के मार्गदर्शन के लिए समझौते के द्वितीय प्रपत्र और सामान्य नियम और निर्देश, खंड III- अनुबंध की सामान्य शर्तें, अतिरिक्त शर्तें, खंड IV- निविदाकारों के लिए विशेष निर्देश, खंड V- तकनीकी विनिर्देश, खंड VI- निविदा चित्र की सूची, खंड VII- अनुसूची ए (विभाग द्वारा पूर्ति की जाने वाली सामग्री की अनुसूची), परिशिष्ट 'बी'- प्रदर्शन सुरक्षा के लिए बीजी बॉन्ड का रूप, परिशिष्ट 'C'- सुरक्षित अग्रिम के लिए इंडेंट्योर (सिविल निर्माण कार्य के लिए लागू), परिशिष्ट 'डी'- वॉटरप्रूफिंग कार्यों के लिए गारंटी बॉन्ड (सिविल कार्यों के लिए लागू), परिशिष्ट 'ई' - दीमक विरोधी उपचार के लिए गारंटी बॉन्ड (सिविल कार्यों के लिए लागू), अनुलग्नक 'ए'- मानवशक्ति और मशीनरी का विवरण, निविदा दस्तावेजों के सभी शुद्धिपत्र, अनुलग्नक 'बी'- निर्माण सामग्री के अनुमोदित निर्माता की सूची (सिविल कार्यों के लिए लागू) और अनुसूचियों 'ए' से 'एफ' का प्रोफार्मा। भाग 'ख' (वित्तीय बोली) में अनुसूची 'बी'- मात्राओं की अनुसूची शामिल है। सफल बोलीकर्ता को कार्य सौंपे जाने के बाद उपरोक्त सभी दस्तावेज अनुबंध का हिस्सा होंगे। सफल बोलीकर्ता को कार्य सौंपे जाने के बाद उपरोक्त सभी दस्तावेज अनुबंध का हिस्सा होंगे।

निविदा दस्तावेज प्राप्त करना: संभावित बोलीदाता या आम जनता सीपीपीपी वेबसाइट से उपरोक्त दस्तावेजों के पीडीएफ प्रारूप को मुफ्त में देख और डाउनलोड कर सकते हैं। निविदा दस्तावेजों का कुछ भाग BARC वेबसाइट [www.barc.gov.in](http://www.barc.gov.in) से डाउनलोड के लिए उपलब्ध होगा निविदाएं और एनआईटी, अन्य जानकारी। बोलीदाताओं को दोनों वेबसाइटों को देखना होगा और निविदा दस्तावेजों का पूरा सेट प्राप्त करने के लिए दिए गए निर्देशों का पालन करना होगा। केवल एक साइट का संदर्भ देने से आंशिक निविदा दस्तावेज तक पहुंच हो सकती है।

### IV. सीपीपी वेबसाइट मे ई निवेदा के लिए दिशा निर्देश

सीपीपी पोर्टल पर निविदा प्रक्रिया में भाग लेने के लिए, संभावित बोलीकर्ताओं को एक वैध Class III डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र की आवश्यकता होती है। निविदा की पात्रता मानदंड से संबंधित सभी दस्तावेज केवल सीपीपीपी पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत किए जाने चाहिए। नीचे दिए गए निर्देश बोलीकर्ताओं को सीपीपीपी पोर्टल पर पंजीकरण करने, आवश्यकताओं के अनुसार अपनी बोलियां तैयार करने और सीपीपीपी पोर्टल पर अपनी बोलियां ऑनलाइन जमा करने में सहायता करने के लिए हैं।

सीपीपीपी पोर्टल पर ऑनलाइन बोलियां जमा करने के लिए उपयोगी अधिक जानकारी यहां प्राप्त की जा सकती है

[:https://eprocure.gov.in/eprocure/app](https://eprocure.gov.in/eprocure/app)

#### 8. पंजीकरण:

- i. बोलीकर्ताओं को सीपीपीपी पोर्टल पर "ऑनलाइन बोलीकर्ता नामांकन" लिंक पर क्लिक करके केंद्रीय सार्वजनिक प्रापण पोर्टल (यूआरएल:<https://eprocure.gov.in/eprocure/app>) के ई-प्रोक्योरमेंट मॉड्यूल पर नामांकन करना आवश्यक है। पोर्टल जो निःशुल्क है।
- ii. नामांकन प्रक्रिया के भाग के रूप में, बोलीकर्ताओं को एक विशिष्ट उपयोग कर्तानाम चुनना होगा और उनके खातों के लिए एक पासवर्ड असाइन करें।
- iii. बोलीकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे पंजीकरण प्रक्रिया के हिस्से के रूप में अपना वैध ईमेल पता और मोबाइल नंबर पंजीकृत करें। इनका उपयोग सीपीपीपी पोर्टल से किसी भी संचार के लिए किया जाएगा।
- iv. नामांकन के बाद, बोलीकर्ताओं को अपने प्रोफाइल के साथ सीसीए इंडिया (जैसेसिफी/एनकोड/ईमुद्रा आदि) द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी प्रमाण न प्राधिकरण द्वारा जारी अपने वैध डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र (हस्ताक्षर कुंजी उपयोग के साथ तृतीय श्रेणी के प्रमाणपत्र) को पंजीकृत करने की आवश्यकता होगी।
- v. एक बोली दाता द्वारा केवल एक वैध डीएससी पंजीकृत किया जाना चाहिए। कृपया ध्यान दें कि बोलीकर्ता यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार हैं कि वे अपने डीएससी को दूसरों को उधार नहीं देते हैं जिससे दुरुपयोग हो सकता है।
- vi. बोलीकर्ता तब साइट पर सुरक्षित लॉग-इन के माध्यम से अपना यूजर आईडी/पासवर्ड और डीएससी/ई-टोकन का पासवर्ड दर्ज करके लॉगइन करता है।

#### 9. निविदा दस्तावेजों की खोज:

- i. विविध मानक के अनुसार से सयनिविदा की खोज में बोलीकर्ता की सहायता के लिए सीपीपीपी पोर्टल में खोज के कई विकल्प उपलब्ध करवाए गए हैं। इन मानक में निविदा आईडी, संगठन का नाम, स्थान, तारीख, मूल्य इत्यादी शामिल हैं। निविदाओं की प्रगत खोज के लिए भी एक विकल्प है जिसमें बोलीकर्ता एक से अधिक मानकों जैसे कि संगठन का नाम, निविदा का प्रकार, स्थान, तारीख अन्य की-वर्ड इत्यादी को लते हुए सीपीपीपी पोर्टल पर प्रकाशित निविदा की खोज कर सकते हैं।
- ii. जिस निविदा में बोलीकर्ता की रुची है, उसके चयन के पश्चात, वे आवश्यक दस्तावेज निविदा समय सारणी डाउनलोड कर सकते हैं। इन निविदा को संबंधित 'My Tenders' नाम क फोल्डर में संचित किया जा सकता है। इसके फलस्वरूप, निविदा दस्तावेज में शुद्धीपत्र जारी किए जाने की स्थिति में सीपीपीपी पोर्टल की ओर से एसएमएस/ ई-मेल के माध्यम से बोलीकर्ता को सूचना प्रेषित की जा सकेगी।
- iii. बोलीकर्ता, प्रत्येक निविदा को प्रदान की गई यूनीक निविदा आईडी को नोट कर ले ताकि हेल्प डेस्क से स्पष्टीकरण/ सहायता, यदि आवश्यक हो, तो वह सुगमता से प्राप्त हो सके।

## 10. बोलियों की तैयारी :

- i. बोलीकर्ता को निविदा दस्तावेज के संबंध में प्रकाशित शुद्धीपत्र में उल्लिखित बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए निविदा दस्तावेज प्रस्तुत करने चाहिए।
- ii. कृपया बोली के एक भाग के रूप में प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों को समझने के लिए निविदा विज्ञापन एवं निविदा दस्तावेज को ध्यान से पढ़ ले। कृपया बोली दस्तावेजों को प्रस्तुत करने हेतु लिफाफों की संख्या, प्रस्तुत किए जाने हेतु अपेक्षित प्रत्येक दस्तावेज का नाम एवं विषय वस्तुसहित दस्तावेजों की संख्या नोट कर ले। उक्तबिंदु से किसी भी प्रकार का विचलन होने पर बोली को अस्वीकार किया जा सकता है। बोलीकर्ता यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके द्वारा प्रस्तुत किसी भी डेटा/दस्तावेज/पत्राचार के माध्यम से किसी भी मूल्य बोली की जानकारी का खुलासा नहीं किया जाए और मूल्य बोली खोलने की निर्धारित तिथि से पहले देखने के लिए उपलब्ध न हो। यदि कोई मूल्य बोली की जानकारी निर्धारित मूल्य बोली खोलने की तारीख और समय से पहले प्रकट की जाती है तो निविदा को तुरंत अस्वीकृत कर दिया जाएगा।
- iii. बोलीकर्ता को निविदा दस्तावेज/समय सारणी में यथा वर्णित, प्रस्तुत किए जाने वाले निविदा दस्तावेज पहले से ही तैयार करके रख लेने चाहिए तथा सामान्यतः ये दस्तावेज PDF / XLS / RAR / DWF/JPG फॉर्मेट में हो सकते हैं। बोलीनिविदा दस्तावेज ब्लैक एंड व्हाइट विकल्प सहित 100 dpi के साथ स्कैन कर लिए जाए ताकि स्कैन किए गए दस्तावेज का साइज कम हो सके।
- iv. प्रत्येक बोली के एक भाग के रूप में प्रस्तुत किए जाने वाले मानक दस्तावेजों के समान सेट को हर बार अपलोड करने में लगनेवाले समय एवं मेहनत से बचने के लिए, ऐसे मानक दस्तावेजों (उदाहरणार्थ पैनकार्ड की प्रति, वार्षिक रिपोर्ट, लेखा परीक्षक प्रमाणपत्र इत्यादी) को एक बारगी अपलोडिंग का प्रावधान बोलीकर्ता के लिए उपलब्ध करवाया गया है। ऐसे दस्तावेजों को अपलोड करने के लिए बोलीकर्ता उन्हें उपलब्ध कराए गए "My Space" या "Other Important Documents" जैसे एरिया का उपयोग कर सकते हैं। बोली प्रस्तुत करते समय इन दस्तावेजों को सीधे "MySpace" एरिया से जमा किया जा सकता है तथा उन्हें बार-बार अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। इसके परिणामस्वरूप बोली प्रस्तुति प्रक्रिया में कम समय लगेगा।

टिप्पणी : My Documents" यह स्पेस केवल एक संग्रह क्षेत्र है जो बोलीकर्ता को अपलोडिंग प्रक्रिया में सहायता हेतु उपलब्ध करवाया गया है। यदि बोलीकर्ता ने "My Documents" स्पेस में अपने दस्तावेज अपलोड कर दिए हैं, तो इससे यह बात स्वतः सुनिश्चित नहीं हो जाती कि ये दस्तावेज तकनीकी बोली का एक भाग हो चुके हैं।

## 11. बोलियों की प्रस्तुति :

- i. बोलियां सीपीपी वेबसाइट <https://eprocure.gov.in/eprocure/app> पर ऑनलाइन प्रस्तुत की जाएंगी।
- ii. बोलीकर्ता को, पर्याप्त समय पूर्व वेबसाइट पर लॉगिन कर लेना चाहिए ताकि वे समय पर अर्थात् निर्धारित तारीख को या उससे पूर्व बोली को अपलोड कर सकें। अन्य कारण से, किसी भी प्रकार के विलंब के लिए बोलीकर्ता जिम्मेदार होंगे।
- iii. निविदा दस्तावेज में बताए गए अनुसार बोलीकर्ता को सभी आवश्यक बोलीदस्तावेजों पर डिजिटल हस्ताक्षर करने होंगे तथा एक-एक करके उन्हें अपलोड करनी होगी।
- iv. यथा लागू निविदा शुल्क/ईएमडी का भुगतान करने के लिए बोलीकर्ता को भुगतान विकल्प में "ऑफलाइन" का चयन करना होगा तथा भुगतान के माध्यम का विवरण भरना होगा।

- v. बोलीकर्ता को निविदा दस्तावेज में निर्धारित अनुदेशों के अनुसार ईएमडी तैयार करनी होगी। उसकी मूल प्रति को डाक द्वारा/कुरियर से/ व्यक्तिगत रूप से संबंधित पदाधिकारी को, बोली प्रस्तुति की अंतिम तिथि तक या उससे पूर्व या निविदा दस्तावेज में यथा निर्धारित समयानुसार अग्रेषित करनी होगी। प्रत्यक्ष रूप से भेजे गए डीडी/ भुगतान के किसी अन्य स्वीकृत माध्यम से किए गए भुगतान का विवरण स्कैन की हुई प्रति में उपलब्ध विवरण एवं बोली प्रस्तुति के समय भरे गए डाटा से मेल खाना चाहिए अन्यथा अपलोड की गई बोली को अस्वीकार कर दिया जाएगा।
- vi. एजेन्सी को, कार्य से संबंधित बोलीपूर्व स्पष्टीकरण, यदि कोई हो, तो उसे डाउनलोड करना होगा और उसे (स्कैन की गई प्रति) मोहरसहित हस्ताक्षर के साथ अपलोड करना है। संशोधित दस्तावेज (यदि कोई हो) को उन्हें ई-निविदा पोर्टल पर अपलोड करना होगा। बोलीकर्ता द्वारा बोली प्रस्तुत करने का यह अर्थ होगा कि वे काम के पूरे दायरे को समझ गए हैं और विभाग द्वारा अपलोड किए गए पूर्व-बोली स्पष्टीकरण दस्तावेज के माध्यम से संशोधन सहित सभी निविदा शर्तों के पालन के लिए सहमत हैं।
- vii. बोलीकर्ता कृपया ध्यान दे कि वे अपनी वित्तीय बोलियां, उन्हें उपलब्ध करवाए गए प्रारूप में ही प्रस्तुत कर तथा आवश्यक कोई भी प्रारूप स्वीकार्य नहीं होगा। यदि मूल्य की बोली को निविदा दस्तावेज सहित मानक BOQ प्रारूप के रूप में उपलब्ध करवाया गया है, तो सभी बोलीकर्ताओं द्वारा उसे ही डाउनलोड किया जाना होगा और उसमें ही विवरण भरना होगा। बोलीकर्ता को BOQ फाइल डाउनलोड करनी होगी, उसे खोलना होगा एवं आसमानी रंग के खानों (परिवर्तनीय) में संबंधित वित्तीय कोट एवं अन्य विवरण (जैसेकि बोलीकर्ता का नाम) भरना होगा। किसी अन्य खाने में कोई परिवर्तन नहीं करना है। समस्त विवरण भरने के पश्चात, बोलीकर्ता को फाइल सेव करनी चाहिए तथा फाइल का नाम अपरिवर्तित रखते हुए उसे ऑनलाइन प्रस्तुत करना चाहिए। यह पाए जाने पर कि बोलीकर्ता द्वारा फाइल में परिवर्तन किया गया है, बोली को अस्वीकार कर दिया जाएगा।
- viii. निविदाकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे पर्याप्त समयपूर्व ही अपने दस्तावेज अपलोड कर ले ताकि सर्वर पर अंतिम समय पर होने वाली व्यस्तता या अपलोड करने में किसी प्रकार के जटिलता की स्थिति से बचा जा सके। दस्तावेज अपलोड करने के दौरान किसी भी प्रकार की कठिनाइयों जिसमें सर्वर एवं तकनीकी समस्याएं भी शामिल हैं, के लिए भापअ केंद्र किसी भी हाल में जिम्मेदार नहीं होगा।
- ix. बोलीकर्ताओं द्वारा बोलियां जमा करने, बोलियां खोलने आदि की समय सीमा को संदर्भित करने के लिए सर्वर समय (जो बोलीकर्ताओं के डैशबोर्ड पर प्रदर्शित होता है) मानक समय माना जाएगा। बोलीकर्ताओं को बोली जमा करने के दौरान समय का पालन करना चाहिए।
- x. नियत तारीख एवं समय (समय-विस्तार सहित) के पश्चात निविदा दस्तावेज को प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं है।
- xi. डेटा की गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए बोलीकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत किए जा रहे सभी दस्तावेजों को पी के आई एन्क्रिप्शन तकनीक का उपयोग करके एन्क्रिप्ट किया जाएगा। दर्ज किए गए डेटा को अनधिकृत व्यक्तियों द्वारा बोली खोलने के समय तक नहीं देखा जा सकता है। सुरक्षित सॉकेट लेयर 128 बिट एन्क्रिप्शन तकनीक का उपयोग करके बोलियों की गोपनीयता बनाए रखी जाती है। संवेदनशील क्षेत्रों का डेटा भंडारण एन्क्रिप्शन किया जाता है। कोई भी बोलीदस्तावेज जो सर्वर पर अपलोड किया जाता है, सिस्टम द्वारा उत्पन्न सममित कुंजी का उपयोग करके सममित एन्क्रिप्शन के अधीन होता है। इसके अलावाय हकुंजी खरीदारों/बोली खोलने वाले की सार्वजनिक कुंजी का उपयोग करके असममित एन्क्रिप्शन के अधीन है। कुल मिलाकर, अपलोड किए गए निविदा दस्तावेज अधिकृत बोली खोलने वालों द्वारा निविदा खोलने के बाद ही पढ़ने योग्य हो जाते हैं।

- xii. अपलोड किए गए निविदा दस्तावेज अधिकृत बोली खोलनेवालों द्वारा निविदा खोलने के बाद ही पढ़ने योग्य हो जाते हैं।
- xiii. बोलियों को समय पर सफलतापूर्वक अपलोड करने पर (अथार्तपोर्टलमें "Freeze Bid Submission" क्लिककरने के पश्चात) पोर्टल पर सफल बोलीप्रस्तुति का संदेश प्रदर्शित होगा तथा बोली संख्या तथा बोली प्रस्तुति की नियत तारीख एवं समय एवं अन्य सगं विवरण सहित बोली सारांश प्रदर्शित होगा।
- xiv. बोली सारांश मुद्रित किया जाना चाहिए और बोली प्रस्तुत करने की पावती के रूप में रखा जाना चाहिए। इस पावती का उपयोग किसी भी बोली खोलने की बैठक के लिए प्रवेशपास के रूप में किया जा सकता है।
- xv. इच्छुक बोलीकर्ता को यह सलाह दी जाती है कि वे बोलीप्रस्तुति के अंतिम तारीख तक इस वेबसाइट को नियमित रूप से देखेता कि वे, शुद्धिपत्र/अनुशेष/संशोधन द्वारा वेबसाइट के माध्यम से निविदा में किए गए परिवर्तन/आशोधन संबंधी जानकारी के बारे में अद्यतित रहे।
- xvi. निविदा की कुछ वस्तुओं/सामग्री की तकनीकी विनिर्देश, बोलीकर्ताओं के लिए प्रदर्शन मापदंडों और निविदा विनिर्देशों से मिलान हेतु सामान्य सिफारिश और मार्गदर्शन के रूप में मेक और ब्रांड का सुझाव देती हैं। तथापि, बोलीकर्ता, प्रदर्शन मापदंडों और निविदा विनिर्देशों को प्राप्त करने के अधीन वैकल्पिक/समतुल्य मेक और ब्रांड का सुझाव दे सकते हैं, इस संबंध में वे प्रमाणित करने के लिए तकनीकी विवरण प्रदान करेंगे। सभी बोलीकर्ताओं के लिए समान अवसर और निष्पक्ष और न्यायसंगत प्रतिपादन सुनिश्चित करने के लिए और कार्य के निष्पादन के दौरान देरी से बचने के लिए, बोली जमा करने से पहले बोली-पूर्व स्पष्टीकरण चरण वैकल्पिक मेक/ब्रांड का सुझाव देने और जमा किए गए तकनीकी विवरणों के उचित सत्यापन के बाद अपलोड किए गए बोली-पूर्व स्पष्टीकरण दस्तावेज में विभाग द्वारा उसे मान्यता देने के लिए उपयुक्त चरण है। कार्य प्रदान करने के पश्चात, ठेकेदार द्वारा सुझाए गए वैकल्पिक/समतुल्य मेक की स्वीकृति/अस्वीकृति (यदि कोई हो) बताने में लगने वाले समय के कारण होने वाली देरी के लिए ठेकेदार उत्तरदायी होगा। मद्दों/सामग्रियों के उच्च विनिर्देशन/प्रदर्शन के कारण अतिरिक्त लागत का भुगतान नहीं किया जाएगा।

## 12. बोलीकर्ताओं को सहायता:

1. निविदा दस्तावेज और उसमें निहितनियमों और शर्तों से संबंधित किसी भी प्रश्न को निविदा के लिए निविदा आमंत्रण प्राधिकारी या निविदा में इंगितसंबंधित संपर्कव्यक्ति को संबोधित किया जाना चाहिए।
2. निविदादस्तावेज और उसमें निहित नियमों और शर्तों से संबंधित किसी भी प्रश्न को निविदा के लिए निविदा आमंत्रण प्राधिकारी या निविदा में इंगित संबंधित संपर्क कोई भी प्रश्नया सामान्यरूप से सीपीपी पोर्टल से संबंधित प्रश्नों को 24x7 सीपीपी पोर्टल हेल्प डेस्क को निर्देशित किया जा सकता है।

## शर्तें:

13. विभाग कार्य को पूरा करने के लिए बोली लगाने वाले की क्षमता और तत्परता का भी आकलन करेगा और आवश्यक सुधारों पर प्रकाश डालेगा।: -
  - a) विषय कार्य के आलोक में कंपनी की तकनीकी क्षमताएं।
  - b) पिछले 3 या 4 वर्षों के दौरान टर्न ओवर ।
  - c) पिछले 5 या 6 वर्षों के दौरान लाभ हानि।
  - d) समान कार्यों का सफल समापन और गुणवत्ता ।
  - e) बोलीकर्ता का पैन, जीएसटी, ईएसआईसी प्राधिकारियों के साथ पंजीकरण ।

- f) निविदा दस्तावेज के परिशिष्ट डी के अनुसार स्थानीय सामग्री की घोषणा % में, साथ ही संबंधित दस्तावेज "यदि कोई हो"।

बोलीकर्ताओं की पात्रता के संबंध में पुष्टिकरण के लिए विभाग द्वारा ई-मेल के माध्यम से अतिरिक्त/वैकल्पिक/प्रतिस्थापित दस्तावेज मांगे जाएंगे। इस प्रकार मांगे गए दस्तावेज पात्रता पर निर्णय लेने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमत समय के भीतर उत्तर मेल द्वारा प्रस्तुत किए जाए। यदि आवश्यक दस्तावेज अनुमत समय के भीतर उत्तर मेल द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं, तो बोली अस्वीकृत कर दी जाएगी।

14. विभाग बोलीकर्ता की कार्य करने की क्षमता और तत्परता का भी आकलन करेगा तथा आवश्यक सुधारों पर प्रकाश डालेगा।

ए) कार्य के संबंध में कंपनी की तकनीकी क्षमता।

बी) पिछले 7 वर्षों के दौरान निविदाकार द्वारा निष्पादित कार्यों का स्वरूप।

सी) कंपनी की संघटनात्मक संरचना।

डी) विषयगत कार्य को करने के लिए कंपनी द्वारा अपेक्षित आवश्यक संसाधन।

ई) समय एवं गुणवत्ता सजगता।

एफ) असंगत दावों और विवादों के बारे में कंपनी की प्रवृत्ति।

जी) स्थल नियोजन क्षमता।

एच) कार्य को बैक टू बैक/उप किराएदारी संबंधी कंपनी की प्रवृत्ति।

15. भाषा परमाणु अनुसंधान केंद्र में लागू सुरक्षा प्रक्रिया के अनुसार, कार्य शुरू करने से पहले भाषा केंद्र के सुरक्षा अनुभाग द्वारा ठेकेदारों की जांच की जाएगी।

16. निविदा के भाग 'क' के खुलने के बाद निविदा में किसी प्रकार के संशोधन करने की अनुमति नहीं होगी।

17. किसी शर्त या सशर्त छूट वाली निविदाओं को अस्वीकृत कर दिया जाएगा। फिर भी जिन निविदाओं में बिना किसी शर्त के छूट दी गई हो उन्हें स्वीकार किया जाएगा।

18. भाषा केंद्र/पऊवि की निविदाओं में बोली लगाने वाले को भाग लेने से रोकना:

(i) यदि आवेदक द्वारा दी गई कोई भी सूचना बाद में गलत पाई जाती है तो उन्हें भाषा केंद्र में भविष्य में निविदाकरण/कोई भी कार्य करने से विवर्जित (डीबारमेंट) रखा जाएगा। यदि कार्य शुरू करने से पहले भी किसी भी उल्लंघन की सूचना, विभाग को प्राप्त होती है तो प्रभारी अभियंता ईएमडी एवं निष्पादन गारंटी की संपूर्ण राशि को पूर्ण रूप से जब्त करने के लिए स्वतंत्र होंगे। यदि ऐसा उल्लंघन प्रदर्शन प्रतिभूति जमा करने के बाद विभाग के संज्ञान में आता है, तो भाषा केंद्र द्वारा प्रदर्शन गारंटी, ईएमडी (यदि जारी नहीं किया जाता है) की पूरी राशि को विवर्जन के अतिरिक्त जब्त कर ली जाएगी।

(ii) यदि भाषा केंद्र के सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिए गए निर्णयानुसार बोलीकर्ता ने सामान्य वित्तीय नियम 2017 के नियम 151 और 175 (1) या इसके संशोधन [<https://doe.gov.in/ordercircular/general-financial-rules2017-0>] और/या कार्यों की प्राणण मैनुअल 2022 के खंड 7.5 और उप-खंड (अध्याय 7) या इसके संशोधन [<https://doe.gov.in/manuals/manual-procurement-works-updated-june->

2022] के अंतर्गत; और/या खंड 2.4 और उप-खंड (अध्याय 2) परामर्श और अन्य सेवाओं की प्रापण के लिए मैनुअल 2022 या इसके संशोधन [[https://doe.gov.in/divisions/manual\\_purchase-consultancy-other-services](https://doe.gov.in/divisions/manual_purchase-consultancy-other-services)] का उल्लंघन किया है तो बोलीकर्ता/ठेकेदार को भापअ केंद्र/पऊवि में किसी भी प्रापण/निविदाओं में भाग लेने से रोक दिया जाएगा। इस संबंध में भापअ केंद्र के सक्षम प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगा और बोलीकर्ता पर बाध्यकारी होगा।

(iii) बोलीकर्ताओं को स्पष्ट रूप से उल्लिखित करना चाहिए कि क्या उन्हें किसी अवधि के लिए बोली लगाने से रोका गया है या किसी कार्य को निम्न प्रदर्शन के कारण समाप्त कर दिया गया है या उन्हें क्लाइंट एजेंसी द्वारा सूचित किया गया है कि किसी सरकारी, अर्ध-सरकारी क्लाइंट के संबंध में किसी कार्य को पूरा होने से पहले ही छोड़ दिया गया है। भापअ केंद्र के सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस मामले की समीक्षा की जाएगी तथा वे यह तय करेंगे कि बोली लगाने पर रोक वर्तमान कार्य के लिए लागू होता है या नहीं।

19. कार्य को पूरा करने की अवधि की गणना कार्य शुरू करने के लिए लिखित आदेश मिलने के 15वें दिन से निविदा दस्तावेजों में यथा उल्लिखित, यदि कोई हो, चरणबद्ध तरीके के अनुसार होगी। कार्य के अधिनिर्णय के दौरान प्रारंभ की तारीख को संशोधित किया जा सकता है जिसे कार्य आदेश में सूचित किया जाएगा।
20. निविदा को निविदा के ऑन लाइन प्रस्तुतीकरण के बंद होने की आखरी तारीख से 180 (एक सौ अस्सी) दिनों तक वैध रखा जाएगा।
21. यदि बयाना राशि के मूल दस्तावेज की प्राप्ति और निविदा खोलने की अंतिम तिथि को अवकाश घोषित किया जाता है, तो संबंधित तिथि को अगले कार्य दिवस के लिए स्थगित माना जाएगा।
22. भौतिक रूप में अर्जित धनराशि (Earnest Money) अनुसूचित बैंक द्वारा जारी फिक्स्ड डिपॉजिट रसीद / डिमांड ड्राफ्ट / बैंकर चेक / पे ऑर्डर के रूप में जमा की जानी चाहिए, जो "Accounts Officer", BARC, मुंबई के पक्ष में हो। बैंक विवरण (यदि आवश्यक हो) इस प्रकार हैं: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, BARC, ट्रॉम्बे शाखा, IFSC: SBIN0001268। ऐसे मामले में, बयाना जमा की कम से कम 50% राशि अथवा रु.20.00 लाख, जो भी कम हो, उक्त निर्धारित रूप में होनी चाहिए तथा शेष राशि को निविदा दस्तावेज के परिशिष्ट-‘ए’ के अनुसार किसी भी अनुसूचित बैंक द्वारा जारी बैंक गारंटी के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। इसके अलावा, ईएमडी की कागजी प्रति उक्त क्रमांक 1 में उल्लेख किए गए स्थान पर सीलबंद लिफाफे में जमा की जानी चाहिए। लिफाफे के ऊपर कार्य का नाम तथा एनआईटी संख्या लिखी होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त, मूल ईएमडी तथा निविदा स्वीकृति दस्तावेज वरीयतः व्यक्तिगत रूप से जमा किए जाने चाहिए। इन्हें गेट पर रखे ड्रॉप बॉक्स में नहीं डाला जाना चाहिए। तथापि, डाक अथवा कुरियर से प्रेषित दस्तावेजों पर भी विचार किया जाएगा बशर्ते वे क्रम सं. 1 में दिए गए उक्त पते पर निर्धारित तिथि एवं समय के भीतर प्राप्त हुए हों। ईएमडी को प्रस्तुत करना अनिवार्य है। निर्धारित तिथि के भीतर ईएमडी प्रस्तुत न करने पर बोलीकर्ता की वित्तीय बोली को नहीं खोला जाएगा।
23. जिस बोलीकर्ता की निविदा स्वीकार की जाती है उसे BARC द्वारा स्वीकृति पत्र (LOA) जारी किया जाएगा। LOA प्राप्त होने के बाद, बोलीकर्ता को निविदा के निविदा मूल्य के 3% के बराबर राशि प्रदर्शन सुरक्षा के रूप में जमा करनी होगी और BARC द्वारा प्रदर्शन सुरक्षा स्वीकार करने के बाद, बोलीकर्ता को कार्य आदेश दिया जाएगा। स्वीकृति पत्र जारी करने की तारीख से प्रदर्शन गारंटी जमा करने के लिए अनुमत समय 15 दिन होगा। यह अवधि बोलीकर्ता के लिखित अनुरोध पर EIC द्वारा 1 से 15 दिनों की अधिकतम अवधि के लिए प्रदर्शन गारंटी राशि के 0.1% प्रति दिन की दर से विलंब शुल्क के साथ बढ़ाई जा सकती है। 3% की प्रदर्शन सुरक्षा बैंक गारंटी (यदि

प्रदर्शन सुरक्षा 1.00 लाख रुपये से अधिक है), अनुसूचित बैंकों की सावधि जमा रसीदों या सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में भी स्वीकार की जा सकती है। यदि स्वीकृति पत्र जारी किया जाता है, तो एल 1 बोलीकर्ता की ईएमडी को प्रदर्शन सुरक्षा की स्वीकृति के बाद लौटाया/वापस कर दिया जाएगा। यदि स्वीकृति पत्र जारी नहीं किया जाता है तो एल1 बोलीकर्ता की ईएमडी BARC द्वारा कार्य रद्द करने या प्रस्ताव की वैधता समाप्त होने के बाद, जो भी पहले हो, वापस कर दी जाएगी/लौटाई जाएगी। एल2 और अन्य बोलीकर्ताओं की ईएमडी BARC के सक्षम प्राधिकारी द्वारा तुलनात्मक वित्तीय विवरण (सीएसटी) की स्वीकृति के बाद वापस कर दी जाएगी/लौटाई जाएगी। दो/तीन बोली प्रणाली के मामले में, तकनीकी बोली मूल्यांकन के दौरान असफल बोलीकर्ताओं की ईएमडी CPPP में तकनीकी बोली मूल्यांकन अपलोड करने के 30 दिनों के भीतर वापस कर दी जाएगी।

24. बोलीकर्ता को अपने संविदा की उचित पूर्ति के लिए प्रतिभूति जमा के माध्यम से प्रस्तुत करनी होगी, ऐसी राशि कार्य के निविदा मूल्य का 2.5% (ढाई प्रतिशत) होगी। प्रतिभूति जमा ठेकेदारों के चालू प्रतिभूति जमा बिल की सकल राशि से 2.5 % की दर से कटौती द्वारा तब तक वसूली जाएगी जब तक पहले ही जमा की गयी प्रतिभूति जमा के साथ उक्त राशि कार्य के निविदा मूल्य का 2.5 % हो जाए। प्रतिभूति जमा, सरकारी प्रतिभूतियां, अनुसूचित बैंक तथा राष्ट्रीयकृत बैंक की आवधिक जमा पावतियों के रूप में भी स्वीकार की जाएगी। इन्हें लेखा अधिकारी, भापअ केंद्र, मुंबई के नाम पृष्ठांकित किया जाएगा।
25. यदि सफल निविदाकार कार्य प्रारंभ करने की अनुबंधित तारीख को या उससे पहले निर्धारित निष्पादन गारंटी प्रस्तुत करने में विफल रहते हैं तो विभाग (भापअ केंद्र) किसी अन्य अधिकार या उपाय पर बिना किसी प्रतिकूल प्रभाव के, उक्त बयाना राशि को पूर्ण रूप से जब्त कर सकते हैं।
26. निविदा की स्वीकृति विभाग के पास सुरक्षित है जो सबसे कम मूल्य की निविदा को स्वीकृत करने के लिए बाध्य नहीं है एवं इसके पास किसी भी निविदा अथवा सभी निविदाओं को बिना कोई कारण बताये अस्वीकृत करने का अधिकार है। वे सभी निविदाएं, जिनमें निर्धारित शर्तें पूरी न की गयी हों अथवा जो किसी भी दृष्टि से अपूर्ण होंगी उन्हें अस्वीकृत कर दिया जाएगा।
27. निविदा के संबंध में किसी भी प्रकार की सिफ़ारिश करना सख्त मना है, जो ठेकेदार सिफ़ारिश करेगा उसकी निविदा अस्वीकृत कर दी जाएगी।
28. निविदा स्वीकृत होने पर ठेकेदार द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधियों के नामों की सूचना प्रभारी अभियंता को दे दी जाए, जो प्रभारी अभियंता से निर्देश लेने के लिये जिम्मेदार होंगे।
29. विभाग समस्त निविदा अथवा निविदा के किसी भाग को स्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है एवं निविदाकार अपने द्वारा दी गयी दर पर कार्य करने के लिए बाध्य हैं।
30. i. ( जीएसटी का मतलब होगा वस्तु एवं सेवा कर-केंद्रीय, राज्य और अंतरराज्यीय  
ii) अनुसूची-बी में उद्धृत सभी निविदा दरें जी. एस. टी. रहित होंगी, लेकिन इसमें निविदा प्राप्त करने की अंतिम निर्धारित (तिथि बढ़ाई गई) पर लागू अन्य सभी कर, रॉयल्टी, लेवी या उपकर शामिल होंगे।  
iii) इस कार्य संविदा पर चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा विधिवत प्रमाणित लागू होने वाला जीएसटी, इस कार्य के लिए जीएसटी भुगतान के मूल दस्तावेजी प्रमाण के प्रस्तुत करने पर, भापअ केंद्र

द्वारा प्रतिपूर्ति योग्य है। ईपीएफ और ईएसआईसी भुगतानों की प्रतिपूर्ति नीचे दिए गए खंडों के अनुसार की जाएगी। इस संविदा के लिए इनपुट या आउटपुट के संबंध में कोई अन्य कर, बीमा व्यय, प्रभारों बोलीकर्ता द्वारा देय होगा और सरकार इसके संबंध में किसी भी दावे को स्वीकार नहीं करेगी।

- iv) बोलीदाताओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे जीएसटी की पालना करते हैं और उनकी उद्धृत कर संरचना/दरों जीएसटी नियम के अनुसार हैं।
  - v) ठेकेदार को भुगतान किए जाने वाले प्रत्येक बिल से जीएसटी पर 2% टीडीएस किए गए कार्य के सकल मूल्य के @1% की दर पर श्रमकल्याण उपकर काटा जाएगा।
  - vi) ठेकेदार को भुगतान किए गए प्रत्येक बिल में से आयकर एवं उपकर काटे जाएंगे।
  - vii) ठेकेदार को ईपीएफ और ईएसआईसी के अंतर्गत पंजीकृत होना चाहिए तथा नियमानुसार अथवा यदि विभाग की मांग है तो ठेकेदार ठेके के कामगारों के ईपीएफ एवं ईएसआईसी भुगतान संबंधित विभाग को करेगा और जब विभाग इस बात से संतुष्ट हो जाए कि इसका भुगतान वास्तव में और सही रूप से कर दिया गया है तो विभाग ठेकेदार को इसकी प्रतिपूर्ति कर देगा। बोलीकर्ता अपनी दरों में ठेकेदार को सभी पात्र कार्मिकों/कामगारों/मजदूरों के ईपीएफ और ईएसआईसी पर विचार नहीं करेगा।  
ठेकेदार सभी पात्र कर्मचारियों/श्रमिकों/कामगारों के संबंध में इपीएफ अधिनियम, 1952 के सभी प्रावधानों का पालन करेगा तथा प्रत्येक आरए बिल के साथ इसका दस्तावेजी प्रमाण नियमित रूप से जमा कराएगा।
  - viii) सरकारी निदेशों के अनुसार कोई अन्य कर/उपकर की कटौती, ठेकेदार को समय-समय पर भुगतान किए जाने वाले प्रत्येक बिल में से की जाएगी।
31. यदि कोई निविदाकार वैधता की अवधि से पहले निविदा वापस लेता है अथवा निविदा की निबंधनों और शर्तों में ऐसे संशोधन करता है जो कि विभाग को मान्य न हो तो सरकार अन्य किसी अधिकार या कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना संपूर्ण बयाना राशि की 50% (पचास प्रतिशत) धनराशि को ज़ब्त करने के लिए स्वतंत्र होगी।

इसके अतिरिक्त, निविदाकार को कार्य की पुनः निविदाकरण प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

32. सफल निविदाकार को कार्य सौंपने के पश्चात, ठेकेदार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन हेतु समय सारणी एवं नकदी प्रवाह विवरण प्रस्तुत करेगा जो करार का एक भाग होगा।

33. जिन सफल निविदाकारों की निविदा स्वीकार की जाएगी उन्हें बीएआरसी के अंदर काम करने वाले अपने सभी कार्यकर्ताओं जैसे: इजीनियरों, पर्यवेक्षकों एवं मजदूरों का अपने खर्चे पर पुलिस की विशिष्ट शाखा द्वारा जारी पुलिस सत्यापन प्रमाणपत्र (पीवीसी) प्राप्त करना आवश्यक होगा और जिसे तदनुसार ही कोट किया जाए। पीवीसी तीन वर्ष के लिए वैध रहेगा।

यदि सुरक्षा जांच के परिणामस्वरूप ठेकेदार/कंपनी/फर्म/मालिक और/अथवा उनके ठेके के कार्मिक के विरुद्ध कोई प्रतिकूल चार्टर और पूर्ववर्ती अभ्युक्तियां/अधिसूचना प्राप्त होती है तो कोई कारण बताए बिना/कारण बताओं नोटिस दिए बिना ठेकेदार की सेवाएं तुरंत समाप्त करने का अधिकार भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के पास सुरक्षित हैं। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा उक्त कार्रवाई के फलस्वरूप परिस्थितियों के तहत किसी नुकसान/दायित्व हेतु दावे का अधिकार ठेकेदार के पास नहीं होगा। डीई/बीएआरसी द्वारा समय-समय पर पऊवि/भापअ केंद्र द्वारा जारी सुरक्षा अनुदेशों के पालन/अनुसरण में ठेकेदार की ओर से होने वाली असफलता हेतु सरकार के अधिकार

में मौजूद कार्यनिष्पादन सुरक्षा और/अथवा सुरक्षा जमा का कुछ भाग/पूर्ण भाग जब्त करने का अधिकार भी भापअ केंद्र के पास सुरक्षित है।

अनुदेश:

34. ठेकेदार <https://eprocure.gov.in/eprocure/app> के साथ पंजीकृत होना चाहिए। जो ठेकेदार ऊपर उल्लेखित वेबसाइट पर पंजीकृत नहीं होंगे, उन्हें पंजीकृत होने की आवश्यकता है।
35. इच्छुक बोलीकर्ता के पास निविदा दस्तावेज (एक्सेल/वर्ड फॉर्मेट) को प्रापणने/डाउनलोड करने हेतु अनुरोध करने के लिए वैध क्लास-III डिजिटल हस्ताक्षर होने चाहिए। अनिवार्य दस्तावेजों तथा ईएमडी/ निर्धारित प्रारूप में विधिवत हस्ताक्षरित बोली प्रतिभूति घोषणा की स्कैन की गई प्रति को अपलोड करने के पश्चात ही बोली प्रस्तुत की जा सकती है।
36. उपरोक्त उल्लिखित समय तथा तारीख तक निविदाएं प्राप्त हो जानी चाहिए। उपरोक्त उल्लिखित समय एवं तारीख पर भाग 'क' (तकनीकी बोली) खोला जाएगा। सर्वप्रथम निविदा प्रक्रिया शुल्क की रसीद एवं "बोली सुरक्षा घोषणा पत्र" की जांच की जाएगी। यदि इन्हे सही पाया गया तो भाग 'क' खोला जाएगा। भाग 'क' खोलने के पश्चात, मूल्यांकन के लिए ठेकेदारके जारी पूर्ण किए गए कार्य क्षेत्र एवं कार्यालय का निरीक्षण किया जाएगा और उनके दस्तावेजों से संबंधित तकनीकी वाणिज्यिक बोली कामूल्यांकन किया जाएगा और तदनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा निविदाकारों को योग्य/अयोग्य घोषित किया जाएगा। तब योग्यताप्राप्त सफल निविदाकारों का निविदा का भाग 'ख' (वित्तीय बोली) को अधिसूचित तारीख एवं समय पर खोला जाएगा। सीपीपी पोर्टल वेबसाइट के माध्यम से सभी बोली कर्ताओं को भाग 'ख' (वित्तीय बोली) खुलने की तारीख सूचित की जाएगी।
37. वित्तीयप्रस्ताव/वाणिज्यिकबोली/बीओक्यू प्रारूप इस निविदा दस्तावेज के साथ <https://eprocure.gov.in/eprocure/app> पर BOQ\_XXXX.xls के रूप में उपलब्ध कराया गया है। बोलीकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे इस BOQ\_XXXX.xls को वैसे ही डाउनलोड करें और अपने ऑफ़र/दरों को अनुमत कॉलम में उद्धृत करें और इसे वाणिज्यिक बोली में अपलोड करें। बोलीकर्ता किसी भीतरी के से डाउनलोड किए गए मूल्य बोली टेम्पलेट में छेड़छाड़/संशोधित नहीं करेगा। यदि इसमें किसी भी प्रकार से छेड़छाड़/संशोधन पाया जाता है, तो निविदा को पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया जाएगा।
38. निविदा खुलने की तारीख के दिन, ठेकेदार लॉग इन करके बोली खुलने के बाद उसकी स्थिति देख सकते हैं।
39. ठेकेदार को प्रत्येक वस्तु की दर कोट करना सुनिश्चित करना चाहिए। आंकड़ों में दर उद्धृत करने के लिए बनाया गया कॉलम स्काई ब्लू रंग में दिखाई देता है। किसी भी सेल का चयन करते समय एक चेतावनी अनिवार्य रूप से ऐसी सभी कोशिकाओं को किसी भी मान से भरने के लिए प्रकट होती है, जिसमें "0" (शून्य) शामिल है।  
टिप्पणी : निविदा जमा करने से पहले सभी एनआईटी मानदंडों को पूरा करने के लिए संभावित एजेंसियों को खुद को संतुष्ट करना होगा। निर्धारित मानदंडों को पूरा न करनेवाली एजेंसियों की निविदा पर विचार न करने का अधिकार विभाग के पास सुरक्षित है।
40. योग्य स्रोत देश: भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश के किसी भी बोलीकर्ता को सार्वजनिक प्रापण विभाग, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, सरकार द्वारा जारी आदेश (सार्वजनिक

प्रापण संख्या 1) और आदेश (सार्वजनिक प्रापण संख्या 2) का पालन करना होगा। भारत एफ.सं. 6/18/2019-पीपीडी दिनांक 23.07.2020 और समय-समय पर इसके परिशिष्ट के तहत। साथ ही, बोलीकर्ता को निविदा दस्तावेज के 'परिशिष्ट-डी' में दिए गए प्रोफार्मा के अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रदान करना होगा। यदि इस तरह की घोषणा या प्रमाण पत्र बोली जमा करने के समय या अनुबंध प्रदान करने के बाद किसी भी समय गलत या गलत पाया जाता है, तो उक्त अनुबंध को समाप्त कर दिया जाएगा, साथ ही ऐसी अन्य कार्रवाइयों के साथ जो भारत के प्रासंगिक कानून के तहत अनुमेय हो सकती हैं।

41. यह निविदा एक कार्य संविदा होने के कारण एमएसएमई फर्मों के लिए कोई वरीयता/छूट जून 2022 में अद्यतन किए गए कार्यों का प्रापण नियमावली के अनुसार इस निविदा पर लागू नहीं होती है।
42. मूल प्रति से स्कैन किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची जिन्हें बोलीकर्ता द्वारा बोली प्रस्तुतीकरण की अवधि के भीतर अपलोड करना है :-
- I. पेशेवर चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित टर्नओवर जिस पर सीए का विशिष्ट दस्तावेज़ पहचान संख्या (यू. डी. आई. एन.) हो।
  - II. पेशेवर चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित लाभ और हानि विवरण जिस पर सीए का वैध विशिष्ट दस्तावेज़ पहचान संख्या (यू. डी. आई. एन.) हो।
  - III. नवीनतम बैंक ऋणशोधन क्षमता प्रमाणपत्र।
  - IV. निर्माणसंयंत्र एवं मशीनरी की सूची।
  - V. तकनीकी कर्मचारियों की सूची।
  - VI. प्रमाणपत्र:
    1. पंजीयन प्रमाणपत्र, यदि कोई हो तो।
    2. कार्य अनुभव प्रमाणपत्र/निष्पादन प्रमाणपत्र।
    3. जीएसटी पंजीकरण का प्रमाणपत्र।
    4. पैन (स्थायी खाता संख्या) पंजीयन
    5. ईपीएफ एवं ईएसआईसी के लिए पंजीयन प्रमाणपत्र।
  - VII) बोलीकर्ता के लेटरहेड पर वचन देना कि "पात्र समानकार्य किसी अन्य ठेकेदार के माध्यम से बैकटूबैक आधार पर निष्पादित नहीं किए गए हैं।
  - VIII) बोलीकर्ता को भाग ए के खंड II और खंड - 11 अनुबंध की सामान्य शर्तों के अनुसार वचनबद्धता।
  - IX) पिछले सात वर्षों में पूर्ण किए गए समान कार्यों की सूची जिसमें i) एजेंसी जिस के लिए निष्पादित किया गया है, ii) कार्य का मूल्य, iii) निर्धारित और पूरा होने का वास्तविक समय, iv) ग्राहकों से योग्य समान कार्यों का प्रदर्शन प्रमाण पत्र।
  - X) चालू कार्यों की सूची दर्शाती है: i) एजेंसी ii) कार्य का मूल्य, iii) पूरा होने का निर्धारित समय / वर्तमान स्थिति।
  - XI) वचनबद्ध/घोषणा-अनुलग्नक 1 से अनुलग्नक-4 (अंग्रेजी एनआईटी में दर्शाएनुसार)
  - XII) किसी भी क्लाइंट फर्म द्वारा बोलीकर्ता के निम्न कोटि के प्रदर्शन के कारण प्रतिबंधित/काली सूची में डाले गए/समाप्ति के कार्यों की सूची। यदि ऐसा कोई प्रतिकूल मामला नहीं है तो एक शून्य सूची संलग्न की जाए। यदि कोई सूची प्रस्तुत नहीं की जाती है, तो यह माना जाएगा कि बोलीकर्ता इस बात की पुष्टि कि है कि उन्होंने ऐसा कोई प्रतिकूल कार्य नहीं किया है।
  - XIII) इस कार्य के लिए बयाना जमा राशि (ईएमडी)।

टिप्पणी : तकनीकी मूल्यांकन के दौरान लापता दस्तावेज, यदि कोई हो, निरीक्षण समिति द्वारा प्रस्तुत करने के लिए कहा जा सकता है।

43. बोलीकर्ता को निम्नलिखित भरना आवश्यक है:

- क) तकनीकी बोली
- ख) मानवशक्ति और मशीनरी का विवरण (अनुलग्नक 'ए' अनुसार)
- ग) अनुसूची - 'बी' (वित्तीयबोली)

44. ई-बैंक गारंटी (ई-बी.जी.) भी स्वीकार्य है और बैंक गारंटी के स्थान पर इसे वरियता दी जाती है।

टिप्पणियाँ:

1. इच्छुक एजेंसियां पंजीकरण और बोली जमा करने के लिए वेबसाइट <https://eprocure.gov.in/eprocure/app> पर जा सकती हैं।
2. ई-निविदा में पंजीकरण और भागीदारी में सहायता के लिए संपर्क करें:
  - 2.1) 24x7 सीपीपी पोर्टल हेल्पडेस्क -0120-4001002,0120-4001005,0120-6277787
  - 2.2) लोकल हेल्पडेस्क-श्री.भूषण/श्री.मयूर 02225487480
  - 2.3) email at [support-eproc@nic.in](mailto:support-eproc@nic.in)
3. बोलीकर्ता जो साइट पर जाना चाहते हैं, वे निम्नलिखित ईमेल आईडी पर विज़िटर के नाम और उनके आईडी विवरण (सरकार द्वारा जारी आईडी जैसे आधार कार्ड/पैन कार्ड/पासपोर्ट/वोटर आईडी कार्ड/ड्राइविंग लाइसेंस, आगंतुक के विवरण के साथ ईमेल करेंगे। बीएआरसी का दौरा करते समय मूल आईडी ले जाना है), फर्म का पता।
4. साइटविज़िट के लिए अनुरोध भेजने के लिए ईमेल आईडी  
प्रति: [nishantm@barc.gov.in](mailto:nishantm@barc.gov.in),  
CC: [akjain@barc.gov.in](mailto:akjain@barc.gov.in), [dhruvit@barc.gov.in](mailto:dhruvit@barc.gov.in),
5. एनआईटी के अंग्रेजी और हिंदी संस्करण के शब्दों में अंतर के मामले में, अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा।

--Sd/--

मुख्य अभियन्ता &  
सह निदेशक, रिएक्टर समूह  
भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र  
भारत के राष्ट्रपति के लिए एवं उनकी ओर से

निविदा स्वीकृति पत्र  
(कंपनी के पत्रशीर्ष पर प्रस्तुत किया जाए।)

दिनांक :

प्रति,

भापअ केंद्र, ट्रांबे, मुंबई-400 085

**विषय : निविदा की शर्तें एवं निबंधनों की स्वीकृति ।**

**निविदा संदर्भ संख्या :-** बीएआरसी/ / दिनांकित

**निविदा/ कार्य का नाम :-** बीएआरसी, ट्रांबे, मुंबई-85 में आरजी सुविधाओं में तकनीकी विनिर्देशों के अनुसार बैटरी बैंक की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग।।

महोदय,

1. मैंने/हमने उपर्युक्त निविदा/कार्य के लिए आपके विज्ञापन में दिए गए अनुसार उपर्युक्त वेबसाइट (वेबसाइटों) <https://eprocure.gov.in/eprocure/app> और [www.barc.gov.in](http://www.barc.gov.in) से निविदा दस्तावेज डाउनलोड/प्राप्त कर लिए हैं।

2. मैं/हम एतद्वारा प्रमाणित करता हूं/करते हैं कि मैंने/हमने निविदा दस्तावेजों (भापअ केंद्र की वेबसाइट <http://barc.gov.in/tenders/> पर अन्य सूचना खंड आदि के तहत उपलब्ध एनएबीटीडी निविदा दस्तावेज, अनुलग्नक/ अनुलग्नकों, अनुसूची/अनुसूचियों, शुद्धिपत्र/शुद्धिपत्रों, तकनीकी विनिर्देश आदि सहित) के समस्त निबंधन और शर्तों को पढ़ लिया है जो संविदा करार का हिस्सा होगा और मैं/हम इसमें निहित निबंधनों/शर्तों/खंडों का पालन करूंगा/करेंगे ।

3. इस स्वीकृति पत्र को प्रस्तुत करते समय आपके विभाग/संगठन द्वारा समय-समय पर जारी शुद्धिपत्र/शुद्धिपत्रों को भी ध्यान में रखा गया है।

4. मैं/ हम एतद द्वारा उपर्युक्त निविदा दस्तावेज/दस्तावेजों/शुद्धिपत्र/शुद्धिपत्रों की निविदा शर्तों को उसकी संपूर्णता/समग्रता के साथ बिना शर्त स्वीकार करता हूं /करते हैं ।

5. मैं/हम एतद्वारा घोषणा करते हैं कि हमारी फर्म को किसी भी सरकारी विभाग/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा काली सूची में नहीं डाला गया है।

6. मैं/हम प्रमाणित करता हूं/करते हैं कि हमारी फर्म द्वारा दी गई सभी जानकारी सत्य और सही है और यदि सूचना गलत/असत्य या उल्लंघन के रूप में पाई जाती है, तो आपका विभाग/संगठन बिना कोई नोटिस दिए या कारण बताए, या किसी भी अन्य अधिकार या उपाय पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, बोली-प्रतिभूति घोषणा फॉर्म-अनुलग्नक1 के अनुसार विभाग द्वारा की गई कार्रवाई सहित, बोली को सरसरी तौर पर अस्वीकार कर दें या करार को समाप्त कर दें।

भवदीय ,

(आधिकारिक मुहर के साथ बोलीकर्ता के हस्ताक्षर)

(कंपनी के पत्रशीर्ष पर प्रस्तुत किया जाए।)  
संबंधित के संदर्भ हेतु

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 206 एबी के अनुसार घोषणापत्र  
वर्तमान वर्ष के ठीक पूर्ववर्ती दो वर्षों के लिए आयकर विवरणी भरने के संबंधी पुष्टिकरण का घोषणापत्र

मैं, \_\_\_\_\_ (नाम), व्यक्ति/स्वामी/सहभागी/निदेशक/प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता  
की हैसियत से \_\_\_\_\_ (कंपनी/संस्था का नाम) स्थायी खाता संख्या (पैन) \_\_\_\_\_ एतद्वारा  
आयकर अधिनियम, 1961 (इसके बाद 'अधिनियम' से संदर्भित किया जाएगा) के संबंधित प्रावधानों के अंतर्गत  
यथा आवश्यक निम्नलिखित घोषणा करता हूँ :

1. यह कि मैं/हम इस घोषणापत्र को व्यक्ति/स्वामी/सहभागी/निदेशक की हैसियत से यह घोषणा करने हेतु प्राधिकृत हैं।
2. मैं/हम एतद्वारा घोषणा एवं पुष्टिकरण करते हैं कि मैं/हम आयकर अधिनियम की धारा 206 एबी में यथावर्णित 'विशिष्ट व्यक्ति' की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आते हैं।
3. मैंने/हमने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139(1) के अनुसार नियत तिथि के भीतर वित्तीय वर्ष 2023-24 एवं वित्तीय वर्ष 2024-2025 हेतु विधिवत रूप से आयकर विवरणी भरी थी- **हां/नहीं (जो भी लागू नहीं है, उसे काट दिया जाए)**
- 4.
5. यदि विवरणी भरी गई है, तो विवरण निम्नानुसार है :

मैं/हम, \_\_\_\_\_ स्थायी खाता संख्या (पैन) \_\_\_\_\_, एतद्वारा यह संपुष्टि करते  
हैं कि धारा 206 एबी के प्रावधान मेरे/हमारे मामले में लागू नहीं होते हैं क्योंकि मैं/हम नियमित रूप से आयकर  
विवरणी भर रहे हैं। पिछले दो वित्तीय वर्षों हेतु आयकर विवरणी के भरने की तिथि और पावती संख्याओं का  
विवरण (दस्तावेजों के प्रमाण सहित) नीचे दिए गए हैं :

क्रम सं.	वित्तीय वर्ष/ (कर निर्धारण वर्ष)	आयकर विवरणी भरने की तिथि	आईटीआर पावती संख्या
1.	2024-2025/(2025-2026)		
2.	2025-2026/(2026-2027)		

6. मैं/हम, एतद्वारा उपर्युक्त सूचना के गलत पाये जाने के कारण हुई किसी भी हानि, कर, ब्याज, दंड आदि  
सहित किसी भी हानि के लिए पूर्ण देयता हेतु उत्तरदायी हैं।  
पूर्वोक्त सभी अभ्यावेदन सत्य एवं सही हैं, तथा हम/मैं उसके समर्थन में किसी भी समय, अपेक्षित कोई भी साक्ष्य  
प्रस्तुत करने की सहमति देते हैं।

की ओर से \_\_\_\_\_  
<< प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम >>  
<<पदनाम >>

संस्था का नाम :

फर्म/एजेंसी के द्वारा जीएसटी घोषणापत्र  
(कंपनी के पत्रशीर्ष पर प्रस्तुत किया जाए।)

**निविदा/ कार्य का नाम :-**

महोदय,

1. मैं/हम जी. एस. टी. के तहत पंजीकृत हैं और जीएसटी प्रावधानों का पालन करते हैं।
2. यदि हम जी. एस. टी. प्रावधानों का पालन नहीं करते हैं और हमारे द्वारा किसी भी इनपुट क्रेडिट को अवरुद्ध किया जाता है, तो हम भापअ केंद्र को क्षतिपूर्ति करने के लिए उत्तरदायी होंगे।
3. इस कार्य के लिए सभी इनपुट क्रेडिट हमारे द्वारा भापअ केंद्र को दिए जाएंगे।

स्थान:

दिनांक:

भवदीय,

(प्राधिकृत बोलीकर्ता के हस्ताक्षर मुहर के साथ)

बोलीकर्ता द्वारा स्थानीय सामग्री प्रमाणन

तकनीकी बोली के साथ बोलीकर्ता के पत्र शीर्ष पर निम्नलिखित घोषणा प्रस्तुत की जाएगी:

निविदा/ कार्य का नाम :-

महोदय,

"मैं/हम (बोलीकर्ता का नाम) यह वचन देते हैं कि हम पीपी-एलसी नीति के अनुसार, निविदा संख्या \_\_\_\_\_ के लिए 'क्लास I स्थानीय आपूर्तिकर्ता' के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए अनिवार्य स्थानीय सामग्री (एलसी) की आवश्यकता को पूरा करते हैं। बोली में स्थानीय सामग्री का प्रतिशत \_\_\_\_\_% है "

प्राधिकृत बोलीकर्ता के हस्ताक्षर मुहर के साथ